

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय : डा० अवनि राज, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिघल बैंक, किशनगंज का दिनांक-05.09.2023 से 17.03.2024 तक अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-797(2), दिनांक-29.07.2020 द्वारा डा० अवनि राज को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) के पद पर नियुक्ति करते हुए अनुमंडलीय अस्पताल, पीरो, भोजपुर में पदस्थापित किया गया। डा० राज द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक-11.08.2020 को योगदान समर्पित कर कार्य कर रहे थे। विभागीय अधिसूचना संख्या-696(17) दिनांक-25.08.2020 के आलोक में ट्यूटर फार्माकोलॉजी विभाग, जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में पदस्थापित किया गया। उक्त के आलोक में दिनांक-05.09.2020 को योगदान दिया गया। पुनः स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-620(17) दिनांक-12.08.2021 के आलोक में विरमित होकर दिनांक-17.08.2021 को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में योगदान समर्पित किया गया। टेन्डोर समाप्ति के उपरान्त प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ के पत्रांक-341 दिनांक-04.09.2023 द्वारा डा० राज को विरमित कर दिया गया। उक्त आलोक में डा० राज के द्वारा दिनांक-05.09.2023 के पूर्वाह्न में पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०-356(2), दिनांक-15.03.2024 के द्वारा डा० राज का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिघल बैंक, किशनगंज में किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में डा० राज के द्वारा 18.03.2024 को योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार डा० राज का प्रभार रहित अवधि दिनांक-05.09.2023 से 17.03.2024 तक है।

वर्णित स्थिति में डा० अवनि राज, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिघल बैंक, किशनगंज के दिनांक-05.09.2023 से 17.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-05.09.2023 से 07.09.2023 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-08.09.2023 से 24.09.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iii.	दिनांक-25.09.2023 से 05.10.2023 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक-06.10.2023 से 15.10.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

v.	दिनांक-16.10.2023 से 31.12.2023 तक	— पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
vi.	दिनांक-01.01.2024 से 21.01.2024 तक	— असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
vii.	दिनांक-22.01.2024 से 15.03.2024 तक	— पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
viii.	दिनांक-16.03.2024 से 17.03.2024 तक	— असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 2/वि०चि०पदा०-213/2024-

2025(2)

पटना, दिनांक

18 / 8 / 2026

प्रतिलिपि : महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिघल बैंक, किशनगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/डा० अरवि राज, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिघल बैंक, किशनगंज/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. Kumar K 17/8/26
सरकार के उप सचिव।

R